राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड–19/2020/18 **दिनांक 03.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, भारत सरकार ने "कोविड–19" की महामारी को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित पूरे भारत में लॉकडाउन किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, केंद्रीय गृह सचिव, भारत सरकार ने अपने दिनांक 30 मार्च, 2020 एवं 2 अप्रैल, 2020 (प्रतिलिपियां संलग्न) के पत्रों द्वारा निदेश दिए हैं कि बैंकों का कामकाज सुगमतापूर्वक हो तथा पूरे देश में इस अवधि के दौरान तत्संबंधी गतिविधियां अनिवार्य हैं। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 27,500 करोड़ रु. के एक वित्तीय पैकेज की घोषणा भी की है, जिसका इस सप्ताह के दौरान पूरे देश में भुगतान किया जाना है और आगामी सप्ताहों में इसे बैंकों की शाखाओं, एटीएम और बिजनेस कॉर्सपोंडेंट के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है।

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, भारत सरकार के दिनांक 24.03.2020, 25.03.2020 और 27.03.2020 के आदेशों के द्वारा लॉकडाउन उपायों के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, बैंक, एटीएम सहित बैंकिंग कार्यों के लिए आईटी वेंडर, बैंक कॉर्सपोंडेंट और एटीएम ऑपरेशन तथा नकदी प्रबंधन सेवाओं को छूट प्रदान की गई है।

और जबकि, वित्त सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गए हैं, जैसे खाताधारकों के लिए अलग–अलग समय निर्धारित करना ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अलग समय निर्धारित करने और नकदी वितरण के बारे में जानकारी देना और बैंक की शाखाओं में सुरक्षाकर्मियों की तथा बिजनेस कॉर्सपोंडेंट पर्याप्त संख्या में व्यवस्था, ताकि कानून व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाए रखी जा सके. इस संबंध में दिल्ली के वित्त सचिव का दिनांक 15 अप्रैल, 2020 का पत्र संलग्न है।

Scanned with CamScanner

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी संबंधित विभागों के साथ–साथ सभी जिलाधिकारी और उनके समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करें कि :

क) बैंक शाखाएं कामकाज जारी रखती हों।

ख) नकदी प्रबंधन और एटीएम प्रबंधन एजेंसियां को कामकाज की अनुमति हो।

ग) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जनता को नकदी के वितरण के समय जिला प्राधिकारी और पुलिस प्रशासन बैंकों के साथ सहयोग करने को तैयार रहें।

घ) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों को धनराशि का सुगम वितरण किए जाना सुनिश्चित करना।

ङ) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त सेवा विभाग के उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का पालन करना।

च) बैंकों द्वारा खाताधारकों के लिए अलग–अलग समय निर्धारित करना ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।

छ) दिल्ली पुलिस के जिला पुलिस उपायुक्त बैंकों की सभी शाखाओं में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था (पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सहित) करेंगे तथा बैंक कॉर्सपोंडेंट कानून व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), दिल्ली।
6. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
7. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, सरकार।
8. प्रधान सचिव (वित्त), दिल्ली।

Scanned with CamScanner

9. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।

10 आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।

11. आयुक्त (कर एवं व्यापार), दिल्ली।

12. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

13 समस्त जिला डीसीपी, दिल्ली पुलिस।

14. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली।

15. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Scanned with CamScanner